भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 241
दिनांक 02 दिसंबर, 2025 / 11 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

ओसीआई कार्ड के लिए प्रक्रिया

†241. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीसः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उन प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारकों के लिए कोई सुस्थापित प्रक्रिया है, जिन्होंने विदेशी नागरिकता त्याग दी है और जो अब पुनः भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं;
(ख) यदि हाँ, तो ऐसे मामलों में पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या विदेशी नागरिकता त्यागने और भारतीय नागरिकता पुनःप्राप्त करने के लिए आवेदन करने की तिथि के बीच कोई स्पष्ट रूप से परिभाषित अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि है कोई और यदि हाँ, तो उक्त अवधि का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता के लिए उनके आवेदन पर कार्रवाई से पहले संक्रमण काल के दौरान अंतरिम निवास परमिट जारी करने का विचार करती है;
(ङ) ऐसे आवेदनों पर कार्रवाई करने की औसत समय-सीमा क्या है और क्या तात्कालिक व्यक्तिगत या व्यावसायिक कारणों से ऐसा करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए कोई फास्ट-ट्रैक तंत्र मौजूद है; और
(च) क्या पुनःस्वदेश लौटने के इच्छुक पूर्व भारतीय नागरिकों के लिए विदेशी नागरिकता त्याग के सत्यापन में कोई प्रक्रियात्मक देरी या विसंगतियां हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (च) :भारत की नागरिकता हासिल करना और उसे निर्धारित करना नागरिकता अधिनियम, 1955 और उसके तहत बनाए गए नियमों, जिन्हें नागरिकता नियम, 2009 कहा जाता है, के द्वारा अभिशासित होता

है। भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारकों के लिए, धारा 5(1)(छ) के तहत पंजीकरण से नागरिकता हासिल करने का प्रावधान है। इसके अलावा, भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए व्यक्ति को अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, जिसे नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 2(1)(ख)(i)(ii) के तहत परिभाषित किया गया है।

*****